जीरो टिलेज से गेहूँ उत्पादन कार्यक्रम वर्ष 2013–14
कार्यान्वयन अनुदेश

1.0 पृष्ठ भूमि :

धान फसल के समय पर कटाई हो जाने तथा खेतों में पर्याप्त नमी रहने से गेहूँ की बुआई समय पर संभव है परन्तु वैसे क्षेत्र जहाँ लम्बी अवधि की धान की किस्म की खेती की जाती है वहाँ गेहूँ की बुआई में विलम्ब होता है। जिन क्षेत्रों में समय से गेहूँ की बुआई की जाती है उन क्षेत्रों में पंक्ति में बुआई नहीं होने के कारण खर पतवार तथा सिंचाई प्रबंधन समुचित ढ़ंग से नहीं हो पाता है। इस तकनीक में खेत की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि धान काटने के तुरंत बाद जीरो टिलेज मशीन के उपयोग से गेहूँ की सीधी बुआई की जा सकती है। इस तकनीक के प्रयोग से समय पर गेहूँ की खेती हो पाता है तथा इसका सकारात्मक असर गेहूँ की उपज पर पड़ता है। पिछले वर्षों में कृषि यांत्रिकरण योजना के तहत जीरो टिलेज मशीन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया गया है। लगभग 13858 जीरो टिलेज यंत्र उपलब्ध हैं।गेहूँ की जिरो टिलेज/हैपी सीडर/सीड ड्रील से बुवाई करने पर ससमय खेती होने के साथ साथ भूमि में उवर्रकों के सही जगह पर स्थापित होने से उत्पादन में वृद्धि होती है।

राज्य सरकार द्वारा जीरो टिलेज मशीन से सीधी बुआई के प्रोत्साहन के लिये माँग आधारित कार्यक्रम स्वीकृत किया गया है। इन यंत्रों के समुचित उपयोग हेतु जीरो टिलेज तकनीक का प्रत्यक्षण–सह–प्रोत्साहन कार्यक्रम क्रियान्वित कराने का निर्णय लिया गया है। प्रत्यक्षण के इस मॉडल में गेहूँ उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि लाने वाले प्रमुख घटक यथा खर–पतवार प्रबंधन, उर्वरता प्रबंधन एवं जीरो टिलेज से बुआई के लिये भाड़े के भुगतान हेतु नगद राशि का समावेश किया गया है। तकनीकी प्रसार करने हेतु विशेष गाँव का चयन कर इस पूरे कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जाना है। जीरो टिलेज से गेहूँ उत्पादन कार्यक्रम का जिलावार लक्ष्य अनुसूची–4 के अनुसार प्रस्तावित है।

2.0 उद्देश्य :

2.1 गेहूँ फसल का समय से बुआई करना।

2.2 धान फसल के बाद परती जमीन का गेहूँ उत्पादन के उपयोग में लाना।

2.3 खेतों में संरक्षित नमी का सीधे उपयोग करना।

2.4 जीरो टिलेज के नवीनतम् तकनीक को बड़े पैमाने पर प्रसारित करना।

2.5 जीरो टिलेज मशीन के व्यवहार से गेहूँ की बुआई के साथ–साथ समुचित मात्रा में मिश्रित उर्वरक के व्यवहार की प्रवृति को बढ़ाना।

2.6 खर–पतवार से समस्याग्रस्त क्षेत्रों में जीरो टिलेज मशीन के व्यवहार के साथ–साथ उपयुक्त/विशिष्ट खरपतवारनाशी के समुचित उपयोग का प्रदर्शन।

2.7 सुक्ष्म पोषक तत्व के समुचित उपयोग का प्रसार करना

2.8 सरकार द्वारा निर्धारित खाद्यान वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करना।

3. प्रत्यक्षण हेतु कृषक की पात्रता :

3.1 इच्छुक सभी कृषक इस कार्यक्रम के लिये पात्र होंगे।

3.2 कृषकों के चयन में 16% अनुसूचित जाति, 1% अनुसूचित जनजाति के कृषकों का चयन करना है तथा 33% महिला कृषकों को प्राथमिता दिया जाना है। प्रत्यक्षण के आयोजन हेतु चयनित किसान द्वारा भूमि, श्रम तथा सिंचाई संसाधन सुलभ कराना अनिवार्य होगा।

3.3 वैज्ञानिकों/तकनीकी पदाधिकारियों/अन्य Resource Person (रिसोर्स पर्सन) के तकनीकी मार्गदर्शन में चयनित कृषकों द्वारा जीरो टिलेज से प्रत्यक्षण किया जाना अनिवार्य होगा।

3.4 क्लस्टर में सहभागी किसान के कम से कम 25 डिसिमिल भूमि की अनिवार्यता सुनिश्चित की जानी है।इस कार्यक्रम के अधीन अधिक उपजशील प्रभेद का उपयोग कर जिलावार जीरो टिलेज प्रत्यक्षण तथा खेती का लक्ष्य से संसूचित किया जायेगा।

4.0 कार्यान्वयन एजेन्सी : संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन एजेन्सी के रूप में कार्य करेंगे। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न कार्यान्वयन एजेन्सियों के लिये समय–सीमा अनुसूची–3 में निर्धारित की गई है।

5.0 तकनीकी प्रशिक्षण : जीरो टिलेज मशीन से गेहूँ की खेती के प्रोत्साहन के लिये व्यापक रूप से प्रचार–प्रसार तथा तकनीकी प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना है। यह कार्यक्रम निम्नांकित रूप से विभक्त होगा।

5.1 राज्य स्तरीय : जीरो टिलेज अभियान को व्यापक आयाम देने के लिये क्षेत्रीय पदाधिकारियों एवं प्रसार कर्मियों के लिये राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा।

5.2 जिला स्तरीय : जिला के प्रबुद्ध तथा प्रगतिशील कृषकों सहित कृषि समन्वयक एवं किसान सलाहकार के साथ जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा जिसमें जीरो टिलेज से गेहूँ की खेती के संबंध में विशेष रूप से प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा। कार्यशाला में 50–50 किसान सलाहकार के समूह को संबंधित प्रखंड कृषि पदाधिकारी के माध्यम से तकनीकी प्रशिक्षण दिया जायेगा।

5.3 प्रखंड स्तरीय शिविर : प्रखंड स्तरीय शिविर में चयनित कृषकों को 50–50 के समूह में जीरो टिलेज से गेहू की खेती के तकनीक का प्रशिक्षण कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार एवं प्रगतिशील किसानों के द्वारा दिया जायेगा।

6.0 वैज्ञानिकों का भ्रमण : प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्/विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों से समन्वय स्थापित कर प्रत्यक्षण स्थलों के भ्रमण एवं तकनीकी मार्गदर्शन हेतु दल का गठन करेंगे तथा फसल अवधि में विभिन्न अवसरों पर क्षेत्रों का परिभ्रमण किया जायेगा। परिभ्रमण की राशि निदेशालय स्तर पर रक्षित रहेगी तथा उसका व्यय समय–समय पर किया जायेगा।

7.0 उपयुक्त प्रभेद :

अधिक उपजशील प्रभेद : बुआई की अवस्था के अनुसार निम्नांकित प्रभेदों का उपयोग प्रत्यक्षण/जीरो टिलेज तकनीक की खेती के लिये किया जायेगा। इस तकनीक के लिये चयनित कृषकों को सरकारी बीज कंपनियों के अनुदानित दर पर उपलब्ध प्रमाणित बीज का बुआई हेतु उपयोग किया जायेगा।

अवस्था	अनुशंसित प्रभेद
सिंचित समय से बुआई (15 नवम्बर से 10 दिसम्बर)	एच डी–2733, एच डी–2824, एच पी0–1731, राज–3777, एच पी0–1761, के0–9107, के–307 (शताब्दी), पी बी डब्लू–343, पी बी डब्लू–443, पी बी डब्लू–502, पी बी डब्लू–550, आर डब्लू–346, आर डब्लू–3413, यूपी–262, यूपी–2383, एच यू डब्लू–206, राज–4120 एच यू डब्लू–468, डी बी डब्लू–17
सिंचित विलम्ब से बुआई (11 दिसम्बर से 10 जनवरी)	एच यू0 डब्लू–234, एच डी–2307, एच डी–2643 (गंगा), एच डी–2285, एच पी–1744 (राजेश्वरी), एच पी–1633 (सोनाली), के–943, के–7933, एच डब्लू–2045 (कोस्मी), यूपी–2425, पी बी डब्लू–373, पी बी डब्लू–533, पी बी डब्लू–306, डी बी डब्लू–14, राज–3765, डी बी डब्लू–16, एन डब्लू–1014, एन डब्लू–2036, एच डी–2888 (पूसा गेहूँ–107)

8.0 प्रत्यक्षण में प्रयुक्त होने वाले उपयुक्त खर–पतवारनाशी रसायन : गेहूँ की फसल में पाये जाने वाले खर–पतवारों को मुख्य रूप से दो समूहों में विभक्त किया गया है। इन खरपतवारों में चौड़ी पत्ती वाले अकरा, अकरी, प्याजी, तीनपतिया, हिरणखुरी, जंगली पालक, भाँग, बथुआ, सैंजी, कृष्णनील, जंगली पालक आदि तथा संकरी पत्ती वाले जंगली जई, मोथा, दूभ, गुल्ली–डंडा आदि प्रमुख हैं।

जिरो टिलेज से गेहूँ के बुआई में इसके खर–पतवार प्रबंधन हेतु बुआई के पश्चात् निम्नांकित में से किसी विशिष्ट खरपतवारनाशी का प्रयोग किया जाना है।

क्र0 सं0	खरपतवार समूह	खर–पतवारनाशी का नाम एवं मात्रा	प्रयोग का समय
बुआई पश्चात् खड़ी फसल में प्रयुक्त होने वाला खरपतवारनाशी			
1	चौड़ी पत्ती वाले खर पतवार– अकरा, अकरी, प्याजी, तीनपतिया, हिरणखुरी, जंगली पालक, भाँग, बथुआ, सैंजी, कृष्णनील, जंगली पालक इत्यादि	मेटसल्फयूरॉन मिथाईल 20% WP @ 8 ग्राम +200 मि0ली0 सरफेक्टेन्ट/एकड़	बुआई के 25 दिन के बाद 200–250 लीटर पानी के साथ
2	संकरी पत्ती वाले खर पतवार– जंगली जई, मोथा, दूभ, गुल्ली–डंडा इत्यादि	क्लोडिनोफॉप प्रोपार्जिल 15% WP @ 160 ग्राम /एकड़	बुआई के 25 दिन के बाद 200–250 लीटर पानी के साथ
3	चौड़ी पत्ती तथा संकरी पत्ती वाले खर पतवार	मेटसल्फयूरॉन मिथाईल 5% + सल्फोसल्फयूरॉन 75% WG @ 16 ग्राम +500 मि0ली0 सरफेक्टेन्ट/एकड़	बुआई के 25 दिन के बाद 200–250 लीटर पानी के साथ

नोट : खरपतवारनाशी के छिड़काव के समय फ्लैट फैन नोजल का व्यवहार करना आवश्यक है।

9.0 जीरो टिलेज/हैपी सीडर/सीड ड्रील मशीन का उपयोग :

बुआई के लिये इन यंत्रों का उपयोग यांत्रिकरण के लाभार्थी के अतिरिक्त समीपवर्ती अन्य कृषकों को भी भाड़े पर सुलभ कराया जायेगा तथा बड़े क्षेत्रफल में जीरोटिलेज तकनीक को अपनाने हेतु प्रोत्सहित किया जायेगा। प्रत्यक्षण मॉडल में जीरो टिलेज तकनीक से बुआई के प्रोत्साहन के लिये प्रोत्साहन राशि रूपये 500.00/एकड़ अनुमान्य की गयी है।

10.0 प्रत्यक्षण हेतु उपादान का निर्धारण : जीरो टिलेज से प्रत्यक्षण में एक एकड़ में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख उपादानों को शत्प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया जाना है। उपादानों का मूल्य अनुमानित है। कृषकों द्वारा निम्नांकित प्रत्यक्षण मॉडल के उपादानों की निर्धारित मात्रा का सम्पूर्ण रूप से क्रय करने के उपरांत वास्तविक मूल्य अथवा अधिकतम रूपये 1250/– का भुगतान प्रखंड स्तरीय शिविर में किया जाना है। इससे अधिक व्यय का भुगतान किसान स्वयं वहन करेंगे।

जीरो टिलेज प्रत्यक्षण मॉडल प्रति एकड़

क्र0 सं0	उपादान	मात्रा
1	अनुदानित प्रमाणित गेहूँ बीज /रू0 7.00/कि0ग्रा0	40 कि0ग्रा0
2	**बीजोपचार** : 1. टेबुकोनेजोल 2%DS/कार्बेंडाजीम 50% WP 2. एजेटोबैक्टर 3. पी0एस0बी0	40 ग्राम 1 कि0ग्रा0 1 कि0ग्रा0
	खरपतवारनाशी रसायन 1. मेटसल्फयूरॉन मिथाईल 20% WP @ 8 ग्राम +200 मि0ली0 सरफेक्टेन्ट/एकड़ 2. क्लोडिनोफॉप प्रोपार्जिल 15% WP @ 160 ग्राम /एकड़ 3. मेटसल्फयूरॉन मिथाईल 5% + सल्फोसल्फयूरॉन 75% WG / 16 ग्राम +500 मि0ली0 सरफेक्टेन्ट/एकड़	कोई एक खरपतवारनाशी रसायन
3	**जिरो टिलेज का भाड़ा** (नगद भुगतान)	500.00 रु0

11.0 प्रत्यक्षण हेतु ग्राम एवं क्लस्टर का चयन :

11.1 चयनित ग्राम को जीरो टिलेज गाँव के नाम से सम्बोधित किया जाना है।

11.2 जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ प्रखंड कृषि पदाधिकारी/कृषि सलाहकार के माध्यम से जीरो टिलेज से बोआई के लिए गेहूँ की खेती के लिये लक्ष्यों के अधीन उपयुक्त गाँव का चयन कराया जाना है।

11.3 जीरो टिलेज से बोआई के लिए ग्राम के चयन में इस बात का ध्यान रखा जाय कि पहुँच पथ पर हो तथा सड़क से नजदीक हो जिससे निरीक्षण तथा तकनीकी प्रसार आसानी से किया जा सके।

12.0 प्रत्यक्षण स्थल का चयन :

12.1 इस तकनीक में खेत की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि धान काटने के तुरंत बाद जीरो टिलेज मशीन के उपयोग से गेहूँ की सीधी बुआई की जा सकती है।

12.2 इस तकनीक के प्रयोग से समय पर गेहूँ की खेती हो पाता है तथा इसका सकारात्मक असर गेहूँ की उपज पर पड़ता है।

12.3 पिछले वर्षों में कृषि यांत्रिकरण योजना के तहत जीरो टिलेज मशीन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया गया है तथा जिलों में जीरो टिलेज यंत्र उपलब्ध हैं।

12.4 प्रत्यक्षण स्थल के चयन में इस बात का ध्यान रखा जाय कि जीरो टिलेज यंत्र की उपलब्धता हो।

12.5 प्रत्यक्षण स्थल के एक ईकाई क्षेत्रफल कम से कम 10 एकड़ रखना अपरिहार्य होगा।

12.6 प्रत्यक्षण ईकाई स्थल से संबंद्ध प्रत्येक कृषक को अधिकतम एक एकड़ का प्रत्यक्षण उपादान मान्य होगा।

13. कृषकों के चयन की प्रक्रिया :

13.1 कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा प्रत्येक पंचायत के लिये रिसोर्स पर्सन के रुप में किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक/प्रखंड कृषि पदाधिकारी/अपने अधिनस्थ अन्य पदाधिकारियों को संबंद्ध किया जाना है।

13.2 रिसोर्स पर्सन के माध्यम से कृषकों का चयन एवं स्थल का चयन किया जाना है।

13.3 इस योजना में उन्हीं किसानों को आर्थिक सहायता दी जायेगी, जिन्हें वर्ष 2011–12 तथा वर्ष 2012–13 में गेहूँ की जीरो टिलेज प्रत्यक्षण के लिये सहायता नहीं दी गयी है।

13.4 जीरो टिलेज यंत्रों का प्रयोग वे किसान भी कर सकते हैं जो स्वयं इस यंत्र के मालिक नहीं हैं परन्तु इस यंत्र के प्रयोग से खेती करने के ईच्छुक हैं।

13.5 इन किसानों को प्रोत्साहित करने के लिये प्रति एकड़ अधिकतम 1250 रूपये की सहायता दी जायेगी। इसमें से 750 रूपये उपादान की खरीद पर तथा शेष 500 रूपये बुआई के लिये यंत्र का भाड़ा भुगतान हेतु दिया जायेगा।

13.6 जीरो टिलेज यंत्र के मालिक को अपने संसाधन से यह कार्यक्रम करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

13.7 कृषकों के चयन के पश्चात् चयनित कृषकों की सूची पर जिला कृषि पदाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

14 उपादान किट के वितरण की प्रक्रिया :

14.1 अधिक उपजशील प्रभेद से जीरो टिलेज से बोआई के प्रत्यक्षण हेतु चयनित कृषकों के द्वारा प्रखंड स्तरीय शिविर में निर्धारित सम्पूर्ण उपादानों का क्रय किया जाना है।

14.2 प्रत्यक्षण के लिये अनुमान्य उपादानों यथा बीज, बीजोपचार रसायन, सुक्ष्म पोषक तत्व, जैविक उर्वरक की व्यवस्था किट के रूप में संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा जिले के अनुज्ञप्ति प्राप्त विक्रेताओं के माध्यम से करायी जानी है।

14.3 संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा उपादानों को उचित मूल्य पर प्रखंड स्तरीय रबी महोत्सव में सुलभ कराने हेतु समुचित आदेश निर्गत किया जाना है।

14.4 संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा जिला/प्रखंड के लिये उपर्युक्त गेहूँ प्रभेदों की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जानी है।

14.5 आर्थिक सहायता मेला में चेक के द्वारा भुगतान किया जायेगा।

14.6 यह सहायता तभी अनुमान्य किया जायेगा, जब किसान कृषि विभाग द्वारा सुझाये गये उपादान की खरीद मेले में करेंगे। इन उपादानों में 40 किलो अनुदानित प्रमाणित बीज के अतिरिक्त बीजोपचार के लिये सामग्री तथा तृणनाशी दवा की खरीद शामिल होगी।

14.7 उपादानों की खरीद में किसान की पसंद ही अंतिम होगा।

14.8 भारत सरकार/सेंट्रल इनसेक्टिसाइड बोर्ड के द्वारा अनुशंसित रसायन में से किसी भी रसायन की खरीद किसान अपनी पसंद से कर सकेंगे।

14.9 इसी प्रकार प्रमाणित बीज/प्रभेद का चुनाव किसान स्वयं करेंगे। विभाग द्वारा यह प्रयास किया जायेगा कि प्रखंड स्तरीय किसान मेला में मात्र गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध हों।

14.10 इस योजना में उन्हीं किसानों को आर्थिक सहायता दी जायेगी, जिन्हें वर्ष 2011–12 तथा वर्ष 2012–13 में गेहूँ की जीरो टिलेज विधि के लिये सहायता नहीं दी गयी है।

14.11 जीरो टिलेज से प्रत्यक्षण हेतु निर्धारित उपादानों का क्रय लाभुक कृषक द्वारा प्रखंड स्तरीय शिविर में अधिकृत विक्रेता से किया जाना है।

14.12 प्रखंड स्तरीय शिविर में अधिकृत विक्रेताओं के द्वारा अभिश्रव के अतिरिक्त एक पंजी का संधारण भी किया जायेगा जिसमें निम्नांकित सूचनाओं को अंकित किया जायेगा।

जिला का नाम : प्रखंड का नाम :

क्र0 सं0	कृषक का नाम	पिता का नाम	ग्राम	पंचायत	उपादान का नाम	उपादान की मात्रा	मूल्य	प्राप्त की गयी राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9

13.1 प्रखंड स्तरीय शिविर में लाभार्थी को प्रत्यक्षण हेतु विहित किये गये उपादानों के क्रय के उपरांत तथा क्रय किये गये सामग्रियों के भौतिक सत्यापन तथा अभिश्रव के उपस्थापन पर वास्तविक राशि अधिकतम रूपये 1250/– का भुगतान चेक के माध्यम से शिविर में ही सुनिश्चित किया जायेगा। प्रखंड कृषि पदाधिकारी के द्वारा निम्नांकित सूचनाओं को पंजी में अंकित किया जायेगा।

जिला का नाम : प्रखंड का नाम :

क्र0 सं0	कृषक का नाम	पिता का नाम	ग्राम	पंचायत	कीट के आदान का कुल मूल्य	भुगतान की गयी राशि	लाभुक का हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान
1	2	3	4	5	6	7	8

13.2 संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा उपादान किट के वितरण के साथ–साथ जीरोटिलेज से गेहूँ की खेती की पैकेज प्रणाली का बुलेटिन कृषकों को आत्मा के माध्यम से वितरित किया जाना है।

14 तकनीकी मार्गदर्शन की प्रक्रिया :

14.1 तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराने हेतु कृषि विज्ञान केन्द्र को पूर्ण रूप से प्राधिकृत किया जाना है।

14.2 जीरो टिलेज से गेहूँ के प्रत्यक्षण स्थल उस क्षेत्र के लिये तकनीकी मार्गदर्शन का केन्द्र बिन्दु होगा।

14.3 संबंधित जिला के परियोजना निदेशक, आत्मा के द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी, कृषि विज्ञान केन्द्र/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्/ विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों से समन्वय स्थापित कर प्रत्यक्षण स्थलों का भ्रमण करेंगे तथा कृषकों को आवश्यकतानुसार तकनीकी मार्गदर्शन देंगे।

14.4 संबंधित जिला के परियोजना निदेशक, आत्मा को उपलब्ध निधि से भ्रमण हेतु वाहन आदि की व्यवस्था की जायेगी तथा भ्रमण के लिये फसल अवधि में एक कलेन्डर तथा रूट चार्ट तैयार किया जाना अनिवार्य होगा।

14.5 कृषि विश्वविद्यालयों/कृषि महाविद्यालयों / कृषि विज्ञान केद्रों के वैज्ञानिकों के भ्रमण में होने वाले यात्रा व्यय के लिये कार्यक्रम में प्रावधान किया गया है।

15 कृषि समन्वयक एवं किसान सलाहकार (रसोर्स पर्सन) का दायित्व :

15.1 कृषि विभाग के लिये कृषि समन्वयक एवं किसान सलाहकार रिसोर्स पर्सन का कार्य करेंगे।

15.2 रिसोर्स पर्सन कृषकों का चयन, स्थल का चयन प्रशिक्षण में कृषकों की सहभागिता सुनिश्चित करने का दायित्व होगा।

15.3 रिसोर्स पर्सन द्वारा प्रत्यक्षण तथा जीरो टिलेज से खेती के प्रसार कार्य किया जाना है।

15.4 प्रत्येक जीरोटिलेज ग्राम के लिये संबंधित रिसोर्स पर्सन एक पंजी रखेगे। पंजी का प्रत्येक पृष्ठ एक किसान को आवंटित होगा। इसमें सभी सुसंगत सूचना संधारित होगी। सुसंगत सूचना विहित प्रपत्र अनुसूची–1 के अनुसार संधारित किया जाना अनिवार्य होगा।

15.5 रिसोर्स पर्सन द्वारा लाभान्वित कृषकों की सूची निम्नांकित प्रपत्र में तैयार कर प्रखंड कृषि पदाधिकारी के माध्यम से जिलों को उपलब्ध करायेगे। यथा :

1. जिला का नाम :
2. प्रखंड का नाम :
3. पंचायत का नाम :
4. जीरोटिलेज ग्राम का नाम :
5. प्रत्यक्षण का कुल क्षेत्रफल (एकड़ में) :
6. प्रत्यक्षण के अतिरिक्त क्षेत्रफल (एकड़ में) :

क्र0 सं0	कृषक का नाम	पिता का नाम	ग्राम	प्रत्यक्षण हेतु रकवा (एकड़ में)	जीरोटिलेज गैर प्रत्यक्षण रकवा (एकड़ में)	कृषक का वर्गीकरण			
						अ0ज0 / अ0ज0जा0	सीमान्त	लघु	महिला
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**

16 प्रखंड कृषि पदाधिकारी का दायित्व :

16.1 अपने अधीनस्थ किसान सलाहकार के माध्यम से कृषकों का चयन करना।

16.2 चयनित कृषकों की सूची तैयार कराना तथा इसे संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध कराना।

16.3 प्रखंड स्तर पर कृषि विकास महोत्वसव में कृषक प्रशिक्षण का आयोजन कराना।

16.4 चयनित कृषकों के बीच प्रत्यक्षण के उपादान का वितरण करना।

16.5 अपने प्रखंड के अधीन प्रत्यक्षण की देखरेख करना तथा सूचनाओं को जिला कृषि पदाधिकारी तक पहुँचाना।

16.6 प्रखंड कृषि पदाधिकारी इस अभियान के लिये अपने प्रखंड में पूर्ण रूप से जबावदेह होंगे तथा तैयारी से लेकर कर फसल जाँच कटनी तक सभी जीरोटिलेज ग्रामों का गहन पर्यवेक्षण करेंगे।

17 कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी का दायित्व :

17.1 प्रत्यक्षण के लाभुक को बीजोपचार से लेकर अन्य भंडारण तक संरक्षण तकनीक के हस्तांतरण की जवाबदेही पूर्ण रूप से कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी की होगी।

17.2 जिला स्तर कार्यशाला तथा प्रखंड स्तरीय शिविरों में पौधा संरक्षण के संबंध में स्पष्ट रूप से जानकारी प्रसार कर्मियों के माध्यम से कृषकों को सुलभ करायी जायेगी।

17.3 गुणवत्तायुक्त पौधा संरक्षण उपादानों की उपलब्धता कराने में जिला कृषि पदाधिकारी को सहयोग देना अनिवार्य होगा।

17.4 इस कार्यक्रम के अधीन पेस्ट सर्वेलेन्स तथा पौधा संरक्षण उपादानों के ससमय उपयोग प्रसार कर्मियों के माध्यम से सुनिश्चित कराना अनिवार्य होगा।

17.5 किसान पाठशाला के आयोजन में जिला कृषि पदाधिकारी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी तथा कृषि सलाहकार से पूर्ण समन्वय करते हुये कार्यक्रम क्रियान्वयन की पूर्ण जवाबदेही होगी।

18 अनुमंडल कृषि पदाधिकारी का दायित्व :

18.1 अनुमंडल कृषि पदाधिकारी इस अभियान के लिये अपने अनुमंडल में पूर्ण रूप से जबावदेह होंगे तथा तैयारी से लेकर फसल जाँच कटनी तक सभी जीरोटिलेज प्रत्यक्षण ग्रामों का गहन पर्यवेक्षण करेंगे।

18.2 इनके अधीन कृषि प्रक्षेत्रों में प्रशिक्षण हेतु आवश्यक संसाधन जिला कृषि पदाधिकारी के सहयोग से सुलभ कराया जायेगा।

19 परियोजना निदेशक, आत्मा का दायित्व :

19.1 संबंधित जिला के परियोजना निदेशक, आत्मा के द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर जिला स्तरीय प्रशिक्षण एवं प्रखंड स्तरीय शिविर का आयोजन कराया जायेगा। इसके लिये आत्मा योजना में उपलब्ध निधि का उपयोग किया जायेगा।

19.2 संबंधित जिला के परियोजना निदेशक, आत्मा के द्वारा प्रशिक्षण के लिये जीविका/महिला विकास निगम/प्रदान/कृषि विज्ञान केन्द्र/राज्य कृषि विश्वविद्यालय से समन्वय स्थापित कर रिसोर्स पर्सन की व्यवस्था ससमय किया जायेगा।

19.3 संबंधित जिला के परियोजना निदेशक, आत्मा को उपलब्ध निधि से भ्रमण हेतु वाहन आदि की व्यवस्था की जायेगी तथा भ्रमण के लिये फसल अवधि में एक कलेन्डर तथा रूट चार्ट तैयार किया जाना अनिवार्य होगा।

20 जिला कृषि पदाधिकारी का दायित्व :

20.1 इस सम्पूर्ण कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु जिला कृषि पदाधिकारी पूर्ण रूपेण जिम्मेवार होगें।

20.2 आत्मा के प्रखंड स्तरीय बैंक खाते के माध्यम से प्रखंडों में राशि उपलब्ध करायी जायेगी। किसानों को सहायता राशि किसान मेला में ही भुगतान कर दी जायेगी।

20.3 योजना का कार्यान्वयन कृषि विभाग द्वारा कृषि रोड मैप के अंतर्गत निर्धारित कार्यान्वयन अनुदान के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा।

20.4 जीरोटिलेज से खेती के लिये प्रसार अभियान के लिये संयुक्त कृषि निदेशक, परियोजना निदेशक, आत्मा, जिला स्तरीय कृषि विभाग के अन्य पदाधिकारी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, जिला में कार्यरत अन्य कार्यान्वयन एजेन्सी यथा जीविका एवं महिला विकास निगम से समन्वय स्थापित कर प्रशिक्षण कार्यक्रम को क्रियान्वित करावेंगे।

20.5 जीरोटिलेज से खेती के लिये निर्धारित समय सीमा के अनुसार प्रचार–प्रसार, प्रशिक्षण कार्यक्रम, कृषकों के चयन की सूचना, प्रत्यक्षण उपादानों की उपलब्धता तथा इसके वितरण, अनुश्रवण, पर्यवेक्षण जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

20.6 संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी अपने अधीनस्थ प्रक्षेत्र प्रबंधक/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सहायक शष्यविद्/प्रक्षेत्र सहायक से समन्वय स्थापित कर प्रशिक्षण की वास्तविक तिथियों का निर्धारण करेंगे तथा इस कार्य के लिये जीविका/महिला विकास निगम/प्रदान/बामेती से समन्वय स्थापित कर मास्टर ट्रेनर की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। जीरोटिलेज से गेहूँ की बोआई का प्रशिक्षण हेतु निम्नांकित प्रपत्र में कार्यक्रम तैयार किया जायेगा।

प्रशिक्षण का नाम : जीरोटिलेज से गेहूँ की बोआई

तिथि	प्रशिक्षण स्थल	प्रशिक्षक दल	पर्यवेक्षक दल
1	2	3	4

20.7 जिला कृषि पदाधिकारी अपने से संबंधित जिलों में प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक एवं कृषक सलाहकार को किसानों की सूची तैयार करने, प्रशिक्षण में किसानों को भाग लेने, प्रत्यक्षण

के उपादानों के वितरण कराने तथा प्रत्यक्षण अवधि में समय–समय पर कृषकों को तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु आदेश निर्गत करेगें।

20.8 जीरो टिलेज के प्रत्यक्षण के निमित्त सूचनाओं को अंकित करने के लिये विहित प्रपत्र (अनुसूची–1 के अनुसार) की एक पुस्तिका (100 पृष्ठ) जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा छापाई कराकर संबंधित कृषि समन्वयक को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

21 जिला नोडल पदाधिकारी का दायित्व :

21.1 अपने से संबंद्ध जिलों में लक्ष्य का कम से कम 5 प्रतिशत क्षेत्र का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करना।

21.2 कार्यक्रम के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की बाधा आने पर कृषि निदेशक को अवगत कराना।

22 संयुक्त कृषि निदेशक का दायित्व :

22.1 प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक प्रमंडल में जीरोटिलेज से प्रत्यक्षण का कम से कम 5 प्रतिशत क्षेत्र का पर्यवेक्षण करेगें तथा कार्यक्रम के क्रियान्वयन में कार्यान्वयन एजेन्सियों को सहयोग देगें।

22.2 कार्यक्रम क्रियान्वयन में किसी प्रकार की असुविधा होने पर निदेशालय तथा विभाग को फैक्स/दूरभाष/ई–मेल से सूचित करेगें।

23 निदेशक बामेती का दायित्व :

23.1 जीरोटिलेज से संबंधित प्रत्यक्षण के प्रचार हेतु प्रसार सामग्री तैयार करना एवं इसे परियोजना निदेशक, आत्मा को सुलभ कराना।

23.2 जीरोटिलेज से संबंधित प्रत्यक्षण के कार्यक्रम का निर्धारण करना एवं राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण का आयोजन करना।

23.3 किसान पाठशाला कार्यक्रम को जीरोटिलेज प्रत्यक्षण कार्यक्रम से समन्वित किया जायेगा तथा इसके लिये कार्यक्रम की रूप–रेखा तथा अनुदेश निर्गत कर सभी स्तर के पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया जायेगा।

24 कृषि निदेशक का दायित्व : इस पूरे कार्यक्रम का राज्य स्तर पर अनुश्रवण एवं समीक्षा करना तथा इसके फलाफल से विभाग को अवगत कराना।

25 जिला पदाधिकारी का दायित्व : जिला पदाधिकारी अपने जिला में इस कार्यक्रम का पर्यवेक्षण करेंगे एवं सफलतापूर्वक संचालन के लिये प्रत्येक मंगलवारीय बैठक (कृषि टास्क फोर्स) में समीक्षा करेगें। इस संबंध में कोई भी बदलाव/विचार/सुझाव की आवश्यकता हो तो अविलम्ब diragri-bih@nic.in पर ई–मेल करना सुनिश्चित करेंगे।

26 फसल जाँच कटनी :

26.1 अनुसूची–5 के अनुसार जिला कार्यान्वयन एजेन्सी को निर्धारित मानदण्ड के अनुसार फसल जाँच कटनी कराया जाना अनिवार्य होगा। क्लस्टर के प्रत्यक्षण प्लाट तथा क्लस्टर के बाहर गैर प्रत्यक्षण प्लाट का विधिवत फसल जाँच कटनी का आयोजन कराया जाना है।

27 अभिलेखिकरण :

27.1 प्रत्यक्षण के लिये संबंद्ध कृषि प्रसार कार्यकर्त्ता को प्रत्यक्षण के निमित सूचनाओं को अंकित करने के लिये एक पंजी का संधारण किया जाना है।

27.2 पंजी में सूचनाओं को विहित प्रपत्र (अनुसूची–1 के अनुसार) में फसल की अवस्था के अनुसार समय–समय पर अंकित किया जाना है।

27.3 फसल कटनी तथा फिल्ड डे के लिये अधिकतम 500 रूपये का व्यय किया जायेगा।

27.4 फसल जाँच कटनी के पश्चात् इस पंजी में प्रत्यक्षण स्थल की उत्पादकता तथा समीपवर्ती गैर प्रत्यक्षण स्थल के फसल जाँच कटनी की उत्पादकता स्पष्ट रूप से अंकित की जानी है।

अनुसूची–1

जीरो टिलेज प्रत्यक्षण के लाभान्वित कृषक के संबंध में सूचना पत्रक का प्रारूप

क्र०	विवरण	कार्यान्वयन
1	किसान का नाम :	
2	पिता का नाम	
3	ग्राम का नाम	
4	पंचायत का नाम	
5	प्रत्यक्षण का क्षेत्रफल (एकड़ में)	
6	गैर प्रत्यक्षण का क्षेत्रफल (एकड़ में)	
7	उपादान प्राप्ति की तिथि	
8	प्राप्त उपादान का विवरण (मात्रा सहित)	
9	बीज (प्रभेद के नाम सहित)	
10	बीजोपचार	
11	प्रत्यक्षण के तकनीकी जानकारी हेतु प्रशिक्षण की तिथि	
12	जीरो टिलेज से बुआई की तिथि	
13	खरपतवारनाशी का नाम एवं व्यवहार की तिथि	
14	नेत्रजन उपरिवेशन की तिथि	
15	पटवन की तिथि	
16	बुआई के 45 दिन बाद प्रति झुंड कल्लो की सं0	
17	बाली में दानों की सं0	
18	फसल कटनी की तिथि	
19	फसल कटनी में प्राप्त उपज की मात्रा प्रति हे0	

मंतव्य :

किसान का हस्ताक्षर कृषक सलाहकार का हस्ताक्षर प्रखंड कृषि पदाधिकारी का हस्ताक्षर

अनुसूची–2

प्रशिक्षण के लिये ले–आउट

जिला स्तरीय कार्यशाला में प्रसार कर्मियों का प्रशिक्षण

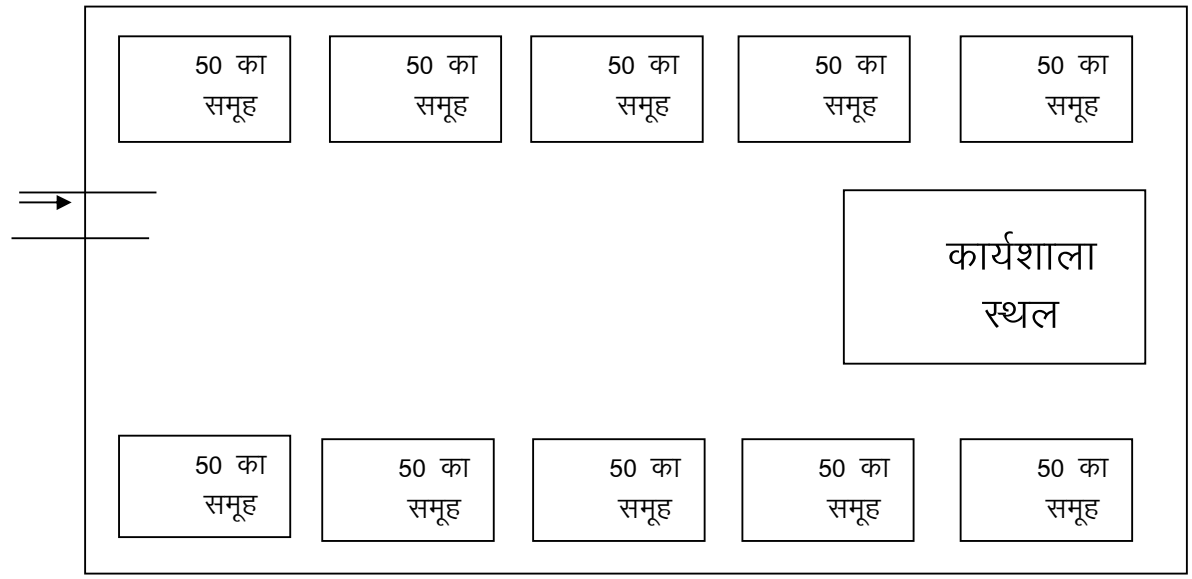
50 का समूह
50 का समूह
50 का समूह
50 का समूह
50 का समूह
कार्यशाला स्थल
50 का समूह
50 का समूह
50 का समूह
50 का समूह
50 का समूह

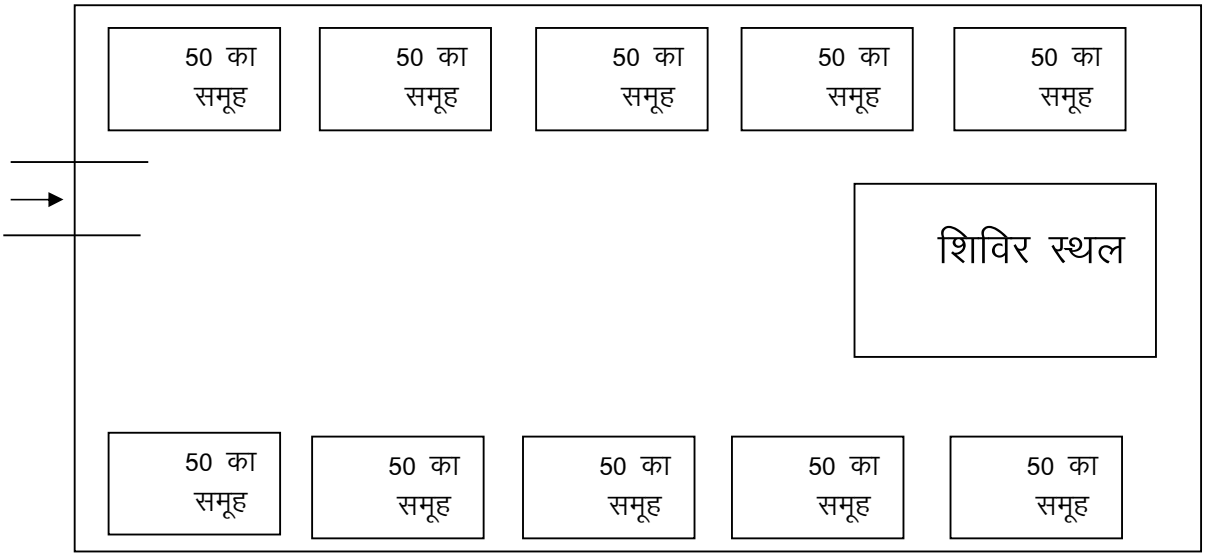
50 का समूह
50 का समूह
50 का समूह
50 का समूह
50 का समूह
शिविर स्थल
50 का समूह
50 का समूह
50 का समूह
50 का समूह
50 का समूह

अनुसूची–3
रबी अभियान वर्ष 2013 की समय सीमा का निर्धारण

क्र0	दिनांक	कार्यक्रम	अनुपालन
1.	10 अक्टूबर, 2013	बीज कम्पनी के साथ बैठक	उप कृषि निदेशक (बीज)
2.	18 अक्टूबर, 2013	बीज आपूर्ति योजना	उप कृषि निदेशक (बीज)
3.	18 अक्टूबर, 2013	प्रखंडवार लक्ष्य वितरण एवं प्रशिक्षण तिथि का निर्धारण	जिला कृषि पदाधिकारी
4.	18 अक्टूबर, 2013	कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन अनुदेश	संबंधित नोडल पदाधिकारी
5	25 अक्टूबर, 2013	गेहूँ प्रत्यक्षण ग्रामों/क्लस्टर/लाभुक कृषक का चयन	जिला कृषि पदाधिकारी/ प्रखंड कृषि पदाधिकारी/ कृषि समन्वयक
6.	28 अक्टूबर से 1 नवम्बर, 2013	जिला स्तरीय कर्मशाला	जिला मुख्यालय/निदेशक, बामेति
7	5 नवम्बर, 2013	राशि का प्रखंडों में हस्तांतरण	संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी
8	11–29 नवम्बर, 2013	प्रखंड स्तरीय शिविर में गेहूँ प्रत्यक्षण उपादान वितरण कार्यक्रम	कृषि समन्वयक /प्रखंड कृषि पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी
9	12–30 नवम्बर, 2013	प्रत्यक्षण ग्राम में बुआई कार्य सुनिश्चित कराना	कृषि समन्वयक / किसान सलाहाकार
10	दिसम्बर, 2013 से मार्च, 2014 तक	किसान पाठशाला एवं अभिलेखीकरण	निदेशक, बामेति/जिला कृषि पदा0 /परियोजना निदेशक, आत्मा
11	मार्च, 2014	फसल जाँच कटनी एवं आंकड़ों का प्रेषण	कृषि समन्वयक/ जिला कृषि पदा0
12	मई, 2014	फसल जाँच कटनी का विश्लेषण	उप कृषि निदेशक (सांख्यिकी)

अनुसूची–4

श्री विधि से धान एवं गेहूँ तथा जीरो टिलेज गेहूँ प्रत्यक्षण का फसल जाँच कटनी कार्यक्रम वर्ष 2013–14

भौतिकः एकड़ में वित्तीय : लाख रूपये में

क्र0 सं0	जिला का नाम	श्री विधि से धान प्रत्यक्षण		श्री विधि से गेहूँ प्रत्यक्षण		जीरो टिलेज से गेहूँ प्रत्यक्षण		कुल योग	
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पटना	2200	11.000	800	4.00	300	1.500	3300	16.500
2	नालन्दा	2600	13.000	800	4.00	300	1.500	3700	18.500
3	भोजपुर	1400	7.000	900	4.50	200	1.000	2500	12.500
4	बक्सर	800	4.000	760	3.80	200	1.000	1760	8.800
5	रोहतास	2200	11.000	1200	6.00	200	1.000	3600	18.000
6	कैमूर	900	4.500	700	3.50	140	0.700	1740	8.700
7	गया	2200	11.000	800	4.00	200	1.000	3200	16.000
8	नवादा	1500	7.500	30	0.15	160	0.800	1690	8.450
9	अरवल	600	3.000	170	0.85	50	0.250	820	4.100
10	जहानाबाद	2200	11.000	470	2.35	50	0.250	2720	13.600
11	औरंगाबाद	3000	15.000	730	3.65	150	0.750	3880	19.400
12	सारण	800	4.000	430	2.15	280	1.400	1510	7.550
13	सीवान	1800	9.000	330	1.65	100	0.500	2230	11.150
14	गोपालगंज	750	3.750	220	1.10	120	0.600	1090	5.450
15	मुजफ्फरपुर	1500	7.500	220	1.10	320	1.600	2040	10.200
16	पू0 चम्पारण	500	2.500	270	1.35	320	1.600	1090	5.450
17	प0 चम्पारण	500	2.500	220	1.10	280	1.400	1000	5.000
18	सीतामढ़ी	500	2.500	800	4.00	240	1.200	1540	7.700
19	शिवहर	750	3.750	1000	5.00	50	0.250	1800	9.000
20	वैशाली	800	4.000	980	4.90	240	1.200	2020	10.100
21	दरभंगा	2400	12.000	820	4.10	240	1.200	3460	17.300
22	मधुबनी	800	4.000	440	2.20	320	1.600	1560	7.800
23	समस्तीपुर	1100	5.500	600	3.00	320	1.600	2020	10.100
24	बेगुसराय	400	2.000	160	0.80	280	1.400	840	4.200
25	भागलपुर	2600	13.000	1000	5.00	200	1.000	3800	19.000
26	बांका	2000	10.000	800	4.00	160	0.800	2960	14.800
27	मुंगेर	700	3.500	650	3.25	80	0.400	1430	7.150
28	लखीसराय	2000	10.000	800	4.00	70	0.350	2870	14.350
29	जमुई	1600	8.000	550	2.75	120	0.600	2270	11.350
30	शेखपुरा	350	1.750	690	3.45	60	0.300	1100	5.500
31	सहरसा	750	3.750	550	2.75	100	0.500	1400	7.000
32	सुपौल	900	4.500	500	2.50	140	0.700	1540	7.700
33	मधेपुरा	700	3.500	400	2.00	160	0.800	1260	6.300
34	खगड़िया	300	1.500	400	2.00	140	0.700	840	4.200
35	पुर्णिया	2000	10.000	540	2.70	200	1.000	2740	13.700
36	किशनगंज	1300	6.500	240	1.20	100	0.500	1640	8.200
37	अररिया	1000	5.000	600	3.00	210	1.050	1810	9.050
38	कटिहार	1600	8.000	430	2.15	200	1.000	2230	11.150
कुल		50000	250.000	22000	110.00	**7000**	35.000	79000	395.000